मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2
01.12.2025 को उत्तर के लिए

सतत औद्योगिक विकास के लिए संशोधित हरित क्षेत्र और वृक्षारोपण मानदंड

2. श्री दिलेश्वर कामैत :
श्री नलिन सोरेन :
श्री बसवराज बोम्मई :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :
श्री पी. सी. मोहन :
श्री विजय बघेल :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री आलोक शर्मा :
श्री नव चरण माझी :
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल :
श्री मितेश रमेशभाई पटेल :
श्री आशीष दुबे :
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्री काली चरण सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण मंजूरी ढांचे के तहत नई औद्योगिक संपदाओं, पार्कों और व्यक्तिगत औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित हरित क्षेत्र और वृक्षारोपण मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान मानदंडों के लिए 33 प्रतिशत हरित क्षेत्र की पहले की आवश्यकता को संशोधित करने के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि संशोधित मानदंड स्थायी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना जारी रखें;

(घ) क्या सरकार तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए नए तेल और गैस टर्मिनलों के लिए हरित क्षेत्र और दूरी मानदंडों को भी संशोधित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्रमशः जबलपुर और मेवाड़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) प्रदूषण की संभाव्यता के आधार पर हरित पट्टी की आवश्यकता को युक्तिकीसंगत बनाए जाने हेतु, मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा माध्यम निर्देश दिया गया है कि यह दिनांक 27 अक्टूबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन पूर्व के अधिक्रमण में संशोधित मानदंडों का औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों तथा व्यक्तिगत उद्योगों के लिए हरित पट्टी/हरित आवरण के विकास के संबंध में अनिवार्यतः अनुपालन किया जाना चाहिए। संशोधित मानदंड के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम 10% क्षेत्रफल को सामान्य हरित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र के भीतर संबंधित लाल श्रेणी व नारंगी श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को अपने परिसरों के क्षेत्रफल का क्रमशः 15% और 10% हरित पट्टी/हरित आवरण के रूप में विकसित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों के लिए, लाल और नारंगी श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को अपने परिसरों में क्रमशः 25% और 20% हरित पट्टी/हरित आवरण विकसित करना अपेक्षित है, जिसे यदि वे मुख्य रूप से वायु प्रदूषण करने वाली इकाइयाँ नहीं हैं, तो प्रत्येक के लिए 5% तक घटाया जा सकता है। हरित और श्वेत उद्योगों के संबंध में यह निर्देश दिया गया है कि हरित पट्टी/हरित आवरण का विकास वैकल्पिक है और इसकी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, केवल वही हरित श्रेणी के उद्योगों जिनका वायु प्रदूषण स्कोर ≥25 है, उन्हें अपने-अपने परिसरों के भीतर 10% हरित पट्टी/हरित आवरण का विकास करना होगा।

(ख) परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए भूमि की आवश्यकताओं और हरित पट्टी की पर्यावरणीय आवश्यकताओं और साथ ही सामान्य और विशिष्ट शर्तों में वर्णित मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण और उन्मूलन उपायों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता थी ये शर्तें ई आई ए अधिसूचना 2006 में यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार जारी की गई थी जिससे उपलब्ध भूमि का इष्टतम उपयोग किया जा सके। अतः प्रदूषण की संभाव्यती के आधार पर हरित पट्टी की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। हरित पट्टी/हरित आवरण का युक्तिकीकरण एक समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया, जिसके हरित पट्टी/हरित आवरण विकसित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों को आधार बनाया था। संशोधित हरित पट्टी/हरित आवरण मानकों का आधार यह है कि लाल और नांरगी श्रेणी के अंतगर्त आने वाले अधिक प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों को औद्योगिक कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक प्रतिशत में हरित पट्टी विकसित करने की आवश्यकता होगी।

(ग) से (ड.) केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि संशोधित हरित पट्टी/हरित आवरण को निगरानी तंत्र के साथ कार्यान्वित किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी औद्योगिक एस्टेट एम ओ ई एफ सी सी के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (-) को छमाही हरित पट्टी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें, जिसमें ड्रोन इमेजेस के साथ कैनोपी कवरेज, जीवित वृक्षों की संख्या, ऊंचाई और प्रजातियाँ, जीवित रहने की दर आदि की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों को भी अपने हरित पट्टी क्षेत्रों पर छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें कुल क्षेत्रफल, पेड़ों की संख्या, प्रजातियों के प्रकार, और अन्य संबंधित विवरण शामिल होंगे, जो उनके पर्यावरणीय विवरणों के हिस्से के रूप में संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को प्रस्तुत किए जाएंगे। औद्योगिक एस्टेट द्वारा प्रस्तुत हरित पट्टी विवरण की जांच आईआरओ और एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा वार्षिक आधार पर की जाएगी। व्यक्तिगत इकाइयों के भी हरित पट्टी विवरण की जांच एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निरीक्षण के समय यादृच्छिक रूप से की जाएगी।

संशोधित हरित पट्टी मानदंड पूरे देश की सभी परियोजनाओं पर लागू होंगे, जिनमें मध्य प्रदेश के जबलपुर और राजस्थान के मेवाड़ लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। संशोधित मानदंड हरित पट्टी /हरित आवरण विकसित करने की पर्यावरणीय आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, अतिरिक्त भूमि क्षेत्र का लाभ प्रदान करते हैं ताकि परियोजनाएं अपने संचालन का विस्तार कर सकें ।

*****